একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Naye Transgender Bill (2026) Ke Sandarbh Mein Hindi Sahitya Mein Laingik Pehchan Aur Samajik Vimarsh

(नए ट्रांसजेंडर बिल (2026) के संदर्भ में हिंदी साहित्य में लैंगिक पहचान और सामाजिक विमर्श)

Name of the Author: Dr. Madhumita Ojha

Affiliation- Guest Faculty, Department of Hindi & Translation Studies, Hindi University, West Bengal, India

Abstract: The question of gender identity and diversity in Indian society has long been a part of social, cultural, and political discourse. In recent years, several significant legal and social developments have taken place regarding the recognition, rights, and social acceptance of the transgender community. In India, the landmark 2014 NALSA vs. Union of India judgment granted recognition to transgender persons as the "third gender" and upheld the right to self-identification as a fundamental right. Subsequently, the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 was enacted. Recently, the proposed and passed Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 has introduced important changes to this legal framework.

This amendment narrows the definition of transgender identity and proposes a system of certification by a medical board instead of self-identification, which has led to widespread debate and opposition regarding the law. The objective of this research paper is to examine gender identity and social discourse in Hindi literature in the context of the new Transgender Bill (2026). It analyzes how issues of gender diversity, marginalized communities, and identity have been expressed in Hindi literature. This study also demonstrates that literature is not merely a reflection of social reality, but also a medium of social transformation and ideological consciousness.

Keywords: Transgender, Gender Identity, Hindi Literature, Queer Discourse, Social Justice.

नए ट्रांसजेंडर बिल (2026) के संदर्भ में हिंदी साहित्य में लैंगिक पहचान और सामाजिक विमर्श

डॉ. मधुमिताओझा

भारतीय समाज में लैंगिक पहचान का प्रश्न लंबे समय तक द्विआधारी (पुरुष-स्त्री) ढांचे तक सीमित रहा है। इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों के अनुभवों और अस्तित्व को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली जो पारंपरिक लैंगिक श्रेणियों में फिट नहीं बैठते। ट्रांसजेंडर समुदाय सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रहा है- विशेष रूप से हिजड़ा, किन्नर और अरावनी जैसी सांस्कृतिक पहचानें भारतीय सामाजिक-धार्मिक परंपराओं में मौजूद रही हैं।(द वीक)हालाँकि औपनिवेशिक काल और आधुनिक सामाजिक संरचनाओं ने इन समुदायों को धीरे-धीरे सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर धकेल दिया। परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के अवसरों से वंचित होना पड़ा।इक्कीसवीं शताब्दी में मानवाधिकार और लैंगिक समानता के प्रश्नों ने इस स्थिति को चुनौती देना शुरू किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के NALSA निर्णय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मौलिक अधिकारों से जोड़ा और राज्य को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया। इसके परिणामस्वरूप 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानून बनाया गया।किन्तु 2026 में प्रस्तुत संशोधन बिल ने इस विषय पर नई बहस को जन्म दिया। इस बिल के अनुसार ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक होगी और आत्म-पहचान के अधिकार को सीमित किया गया है।(दृष्टि आईएएस)कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इस परिवर्तन को ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वायत्तता और गरिमा के लिए चुनौती बताया है। (ह्यूमन राइट्स वॉच) ऐसे समय में साहित्य का महत्व और बढ़ जाता है। साहित्य समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और पहचान के प्रश्नों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। हिंदी साहित्य में भी लैंगिक पहचान और हाशिए के समुदायों की आवाज़ धीरे-धीरे प्रमुख विषय के रूप में उभरी है।

2026 का ट्रांसजेंडर बिल: एक संक्षिप्त परिचय

Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य 2019 के अधिनियम में संशोधन करना है। इस बिल के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

ट्रांसजेंडर की परिभाषा में परिवर्तन

संशोधन के अनुसार ट्रांसजेंडर पहचान की परिभाषा को सीमित किया गया है और कुछ श्रेणियों को हटाया गया है।(PRS Legislative Research)

मेडिकल बोर्ड द्वारा पहचान प्रमाणन

অব ট্রांसजेंडर पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रमाणपत्र जारी करने से पहले मेडिकल बोर्ड की सिफारिश आवश्यक होगी।(PRS Legislative Research)

आत्म-पहचान के अधिकार में परिवर्तन

पहले कानून में व्यक्ति की आत्म-पहचान को आधार माना गया था, जबकि नए संशोधन में इस अधिकार को सीमित किया गया है। (Drishti IAS)

कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण

अस्पतालों को जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी की सूचना प्रशासन को देना आवश्यक होगा।(Wikipedia)इन प्रावधानों को लेकर समाज में व्यापक बहस हुई है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है।(The Times of India)

लैंगिक पहचान और साहित्य

साहित्य समाज के अनुभवों और संघर्षों का दर्पण होता है। लैंगिक पहचान का प्रश्न भी साहित्य में कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।

विश्व साहित्य में क्वीयर और ट्रांसजेंडर अनुभवों पर आधारित साहित्य का विकास बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तेज़ हुआ। हिंदी साहित्य में भी धीरे-धीरे इस विषय पर रचनाएँ सामने आने लगीं।

हिंदी साहित्य में लैंगिक विविधता को समझने के लिए हमें निम्न तीन स्तरों पर विचार करना चाहिए:

1.सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भ

2.आधुनिक साहित्य में लैंगिक पहचान

3.समकालीन क्वीयर और ट्रांसजेंडर विमर्श

भारतीय मिथकों में भी लैंगिक विविधता के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए अर्धनारीश्वर की अवधारणा या शिखंडी जैसे पात्र यह दर्शाते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में लैंगिक पहचान को पूरी तरह स्थिर नहीं माना गया था।आधुनिक हिंदी साहित्य में यह विषय धीरे-धीरे सामाजिक यथार्थ के रूप में सामने आया।

समकालीन हिंदी साहित्य में क्वीयर और ट्रांसजेंडर पहचान का प्रश्न धीरे-धीरे प्रमुख विषय बनता जा रहा है। कई लेखकों और लेखिकाओं ने इस विषय को अपने साहित्य में शामिल किया है।

उदाहरण के लिए महेश दत्तानी, गीतांजलि श्री और कई समकालीन लेखकों ने लैंगिक पहचान और सामाजिक बहिष्कार के प्रश्न को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया है।साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण केवल

সহানুভূতি তক সীমিত নহীं है, बल्कि यह उनके अनुभवों, संघर्षों और अस्तित्व की जटिलताओं को भी सामने लाता है।समकालीन हिंदी कथा साहित्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन, उनके सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक संघर्ष और पहचान की तलाश को संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है।यह साहित्य समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है और पाठकों को लैंगिक विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है।

कानून और साहित्य दोनों समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं। कानून सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, जबकि साहित्य समाज की चेतना और संवेदनाओं को प्रभावित करता है।2026 का ट्रांसजेंडर बिल केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है; यहसमाज में लैंगिक पहचान और अधिकारों से जुड़ी बहस को भी प्रभावित करता है।साहित्य इस बहस को गहराई से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य में हाशिए के समुदायों की आवाज़ को अभिव्यक्त करने की एक लंबी परंपरा रही है- चाहे वह दलित साहित्य हो, स्त्री विमर्श हो या आदिवासी साहित्य।आज ट्रांसजेंडर समुदाय का विमर्श भी इसी व्यापक सामाजिक साहित्यिक आंदोलन का हिस्सा बनता जा रहा है।

भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं में लैंगिक विविधता की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों, मिथकों और धार्मिक आख्यानों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय समाज में लैंगिक पहचान को हमेशा द्विआधारी ढाँचे तक सीमित नहीं माना गया।उदाहरण के लिए अर्धनारीश्वर की अवधारणा भारतीय दर्शन में स्त्री और पुरुष के समन्वित स्वरूप का प्रतीक है। इस रूप में भगवान शिव और पार्वती का संयुक्त स्वरूप यह संकेत करता है कि स्त्री और पुरुष की पहचान परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है।इसी प्रकार महाभारत में शिखंडी का चरित्र लैंगिक पहचान की जटिलताओं को दर्शाता है। शिखंडी जन्म से स्त्री थे, किंतु बाद में उन्होंने पुरुष रूप धारण किया और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में भी लैंगिक पहचान की विविधता को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया था।इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का मोहिनी रूप भी लैंगिक परिवर्तन की अवधारणा को दर्शाता है। यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय मिथकीय परंपरा में लैंगिक पहचान को स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं माना गया था।इन मिथकीय उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में लैंगिक विविधता को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया गया था। किंतु समय के साथ सामाजिक संरचनाओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने इस विविधता को हाशिए पर धकेल दिया।समकालीन साहित्य और सामाजिक विमर्श में इन मिथकीय उदाहरणों का पुनर्पाठ किया जा रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में लैंगिक विविधता की ऐतिहासिक स्वीकृति को समझा जा सकता है (बटलर 45)|

हिंदी कथा साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण धीरे-धीरे विकसित हुआ है। प्रारंभिक साहित्य में ऐसे पात्रों को अक्सर हास्य या सामाजिक हाशिए के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।किन्तु समकालीन हिंदी साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों को अधिक संवेदनशील और यथार्थपरक ढंग से चित्रित किया जा रहा है। लेखकों ने उनके जीवन के संघर्ष, सामाजिक बहिष्कार और पहचान के संकट को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।हिंदी कहानी और उपन्यासों में ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन का चित्रण यह दर्शाता है कि समाज में उन्हें किस प्रकार के भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के अवसरों से वंचित होने के कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।साहित्य में इन अनुभवों का चित्रण केवल सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का भी प्रयास करता है।समकालीन हिंदी साहित्य में कई लेखकों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनकी पहचान के प्रश्न को अपने साहित्य का विषय बनाया है। यह साहित्य पाठकों को यह समझने में सहायता करता है कि लैंगिक पहचान केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण भी है(बोउवार 67)इस प्रकार हिंदी कथा साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण धीरे-धीरे अधिक संवेदनशील और यथार्थपरक होता जा रहा है।

इक्कीसवीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में क्वीयर विमर्श एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। यह विमर्श लैंगिक पहचान, यौनिकता और सामाजिक स्वीकृति से जुड़े प्रश्नों को केंद्र में रखता है।क्वीयर विमर्श का उद्देश्य समाज में मौजूद लैंगिक और यौनिक विविधता को समझना और उसे स्वीकार करने की दिशा में संवाद स्थापित करना है।समकालीन हिंदी लेखन में कई लेखक और लेखिकाएँ ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं जिन्हें पहले साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता था। क्वीयर और ट्रांसजेंडर अनुभवों पर आधारित कहानियाँ और उपन्यास अब धीरे-धीरे साहित्यिक चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं।यह साहित्य समाज में मौजूद रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। यह पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि लैंगिक पहचान केवल दो श्रेणियों तक सीमित नहीं है।कई साहित्यिक आलोचकों का मानना है कि क्वीयर विमर्श हिंदी साहित्य को नए अनुभवों और दृष्टिकोणों से समृद्ध कर रहा है। यह साहित्यिक परंपरा को अधिक समावेशी और बहुआयामी बनाता है (शर्मा 112)

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का प्रश्न केवल कानूनी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ विषय है।ट्रांसजेंडर समुदाय को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।नए ट्रांसजेंडर बिल (2026) के संदर्भ में

यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कानून वास्तव में ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है।कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म-पहचान के अधिकार को सीमित करती है।साहित्य इस विषय पर संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। साहित्यिक रचनाएँ ट्रांसजेंडर समुदाय के अनुभवों और संघर्षों को सामने लाती हैं, जिससे समाज में उनके प्रति सहानुभूति और समझ विकसित होती है।इस प्रकार साहित्य सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

साहित्य और कानून दोनों समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, जबकि साहित्य समाज की चेतना और संवेदनाओं को प्रभावित करता है।जब समाज में किसी नए कानून को लेकर बहस होती है, तो साहित्य उस बहस को गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है।नए ट्रांसजेंडर बिल (2026) के संदर्भ में भी साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। साहित्य इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और यह दिखाता है कि कानून का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है।हिंदी साहित्य में हाशिए के समुदायों की आवाज़ को सामने लाने की एक मजबूत परंपरा रही है। दलित साहित्य, स्त्री विमर्श और आदिवासी साहित्य इसके उदाहरण हैं।आज ट्रांसजेंडर समुदाय का विमर्श भी इसी व्यापक साहित्यिक परंपरा का हिस्सा बनता जा रहा है।उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नए ट्रांसजेंडर बिल (2026) के संदर्भ में लैंगिक पहचान और सामाजिक न्याय का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य इस विषय पर संवेदनशील औरआलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।साहित्य समाज के हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ को सामने लाने का माध्यम है। हिंदी साहित्य में ट्रांसजेंडर और क्वीयर विमर्श का विकास यह दर्शाता है कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ -

1.बोउवार, सिमोन द. द सेकंड सेक्स. विंटेज बुक्स, 2011

2.बटलर, जूडिथ. जेंडर ट्रबल. रूटलेज, 1990

3.कुमार, वीरेंद्र. ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक. भारतीय संसद, 2026

4.प्रेमचंद. गोदान. राजकमल प्रकाशन, 2016

5.शर्मा, रामविलास. हिंदी साहित्य और समाज. राजकमल प्रकाशन, 2001

6.अरोड़ा, सुधा. स्त्री विमर्श के प्रश्न. वाणी प्रकाशन, 2009

7.“ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक, 2026.” पीआरएस इंडिया।

8.“ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 में प्रमुख परिवर्तन.” दृष्टि आईएएस।